जीवन चर्चा

जीवन चर्चा– एक नज़र

महिलाओं पर होने वाली हिंसा का विरोध, संघर्ष, और प्रतिरोध हमारे काम का मुख्य केंद्र रहा है। हिंसा के खिलाफ़ सीधे संघर्ष में महिलाओं की सहायता करना, जन जागरूकता अभियान चलाना, महिलाओं के क़ानूनी हक़ों और प्रावधानों पर एडवोकेसी करना भी शामिल है। इसी सोच के साथ, तीन साल पहले, जागोरी समूह द्वारा एक ढांचागत कार्यक्रम शुरू किया।

हमने सामुदायिक स्तर पर महिलाओं के खिलाफ़ हिंसा रोकने के लिए ठोस कार्यक्रम तैयार किए। सामुदायिक स्तर पर हिंसा के विरूद्ध कार्य दो पुनर्वास कॉलोनियों – मदनपुर खादर व बवाना में चल रहे हैं। इन दोनों ही इलाकों में महिलाओं, किशोरियों और युवकों को हिंसा के मुद्दे पर सघन और स्थायी जुड़ाव के लिए तैयार करना हमारे काम का उद्देश्य था।

खादर में किशोरियों के साथ अपने जुड़ाव के दौरान, जागोरी संदर्भ समूह ने क्षेत्रीय दफ़्तर में एक पुस्तकालय शुरू करने में मदद की। इस पुस्तकालय में 100 पुस्तकों के साथ साथ दैनिक हिंदी अखबारों से अखबारी सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं। इस पुस्तकालय की देख रेख हमारे फील्ड कार्यकर्ताओं द्वारा की जाती है जो बहुत रूचि के साथ इस काम में जुड़े हैं। किशोरियां पुस्तकालय की गतिविधियों में बढ़चढ़कर हिस्सा लेती हैं, तथा कविता, कहानियों, उपन्यास, सामान्य ज्ञान पुस्तकों को पढ़ने में अपने व्यस्त समय से कुछ न कुछ समय निकाल ही लेती हैं।

अपनी गतिविधियों के दौरान संदर्भ समूह ने खादर में संदर्भ समूह के व्यवस्थापन के लिए प्रशिक्षण सत्र चलाये। इनमें किशोरियों को पुस्तकालय, उसके नियमों, रख रखाव और इस्तेमाल के बारे में नियमों की जानकारी दी गई। हमने किशोरियों के साथ सत्र आयोजित किए–यह जानकारी देने के लिए कि समाचार पत्रों की सूचनाओं का चयन और प्रभावशाली इस्तेमाल करते हुए एक संकलित खबर पत्रिका किस तरह निकाली जा सकती है। इस साल 16 दिनों के हिंसा विरोधी अभियान (25 नवंबर से 10 दिसंबर) के दौरान युवतियों ने ***'जीवन चर्चा'*** नामक एक संकलित खबर पत्रिका निकाली। इस खबर पत्रिका में महिला हिंसा से जुड़ी खबरों को संकलित किया गया था। इसमें एक विशेष भाग घरेलू हिंसा और उससे जुड़े क़ानूनी प्रावधानों का था।

जागोरी में हमें लगता है कि ***'देखी सुनी'*** की तरह ही ***'जीवन चर्चा'*** के प्रकाशन हेतु इन युवतियों के प्रयासों को हमें सराहना चाहिए और हमारी कामना है कि ये प्रयास आगे भी इसी तरह जारी रहेंगे।

देखी सुनी

वर्ष 2007, अंक 5

प्रिय दोस्तों,

जीवन चर्चा के एक अंक के जरिए हम लेकर आए है चुनी हुई खबरे जो आपको अपने आसपास और दुनिया से जोड़े रखे और आपको ताजा हालातों की जानकारी से अवगत कराए।

इस अंक मे हम लाए हैं।

घरेलू-हिंसा से जूझती महिलाएँ, दहेज-प्रथा, सशक्तिकरण, यौन-हिंसा, इत्यादि।

शक्ति समूह खादर

घरेलू हिंसा कानून की समीक्षा के तर्क

सितम्बर 2005 में संसद द्वारा पास तथा अक्तूबर 2006 से देश भर में लागू घरेलू हिंसा कानून को सरकार ने समीक्षा के लिए वरिष्ठ वकीलों की तीन सदस्यीय समिति को सौंपा है। कहा जा रहा है कि इस प्रयास के जरिए सरकार इस कानून से कथित तौर पर निर्मित अपनी 'पुरुष विरोधी छवि' को दूर करने का प्रयास करेगी। यह भी कहा गया है कि इस उद्यम से केन्द्रीय मंत्री रेणुका चौधरी की छवि भी 'सुधर' सकती है, जिन्होंने पुरजोर तरीके से इस कानून की हिमायत की थी।

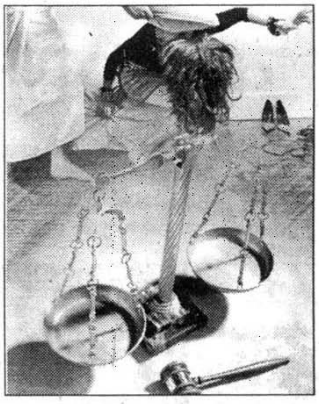

वैसे यह कानून जब से अस्तित्व में आया है तभी से इसे प्रश्नों के घेरे में डाल दिया गया है। अगर आप कानून बनने के तत्काल बाद चली चर्चाओं को याद करें तो लोगों ने उसके कथित दुरुपयोग को लेकर हल्ला करना शुरू किया था। यह दरअसल इसी बात का प्रतीक था कि हमारा पितृसत्तात्मक समाज चाहता नहीं था कि महिलाओं की मार-पिटाई या हिंसा पर कोई रोक लगे। किसी भी चीज या फैसले की समीक्षा करना कोई गलत बात नहीं है। जरूरी नहीं है कि मूल्यांकन नकारात्मक स्थिति उत्पन्न होने पर ही हो, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया भी हो सकती है। कुछ समय बाद हर निर्णय की समीक्षा की भी जानी चाहिए ताकि उसके नकारात्मक-सकारात्मक प्रभावों का आकलन कर उसे बेहतर किया जा सके। चूंकि हमारे यहां के प्रशासकीय ढांचे में ऐसी वैज्ञानिक तथा तार्किक पद्धतियों का सर्वथा अभाव रहता है इसलिए समीक्षा का मतलब भी गलत या मूल प्रावधानों से दूर हटने से लगाया जाता है।

घरेलू हिंसा कानून की इतनी जल्दी समीक्षा का तर्क इसी आधार पर गढ़ा गया है कि जिस तरह दहेज विरोधी कानून का 'दुरुपयोग' हुआ था, वही सम्भावना इसमें भी है। इस सन्दर्भ में हमें इस पर गौर करना पड़ेगा कि दहेज के अलावा अन्य प्रकार के उत्पीड़न का सामना करने के लिए किसी भी कारगर कानून के अभाव में दहेज विरोधी कानून के अवांछित उपयोग की घटनाएं भी सामने आई। दरअसल होता यही था कि अन्य किसी कानून के अभाव में हर समस्या के लिए इसी कानून की धाराएं लगा दी जाती थीं, जो कई बार सुनवाई के दौरान गलत साबित होती थीं।

अब जहां तक प्रस्तुत कानून की समीक्षा का सवाल है तो इसके लिए बनी कमेटी को सारे पक्षों को ध्यान में रखना होगा ताकि ऐसा न हो कि समीक्षा के नाम पर इस कानून को निष्प्रभावी बना दिया जाएं। समीक्षा की बात पर आने के पहले यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारे समाज में घरेलू हिंसा का मसला व्यापक है। लगभग 70 फीसदी महिलाएं किसी न किसी किस्म की घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं, और प्रस्तुत कानून बनने तक इससे निपटने के लिए कोई विशिष्ट कानून नहीं रहा है। आखिर इस कानून में ऐसी क्या नई बातें रही हैं, जिसकी वजह से नारी आन्दोलन ने उसका अप्रत्याशित स्वागत किया था। इस कानून का निर्माण इस मामले में उपलब्धि समझा जाएगा क्योंकि इसने पहली बार घरेलू हिंसा को अपराध की श्रेणी में शामिल कर आत्मीय सम्बन्धों में जारी हिंसा की व्यापकता को रेखांकित किया था। इसके अन्य प्रावधान भी रेखांकित करनेवाले रहे हैं।

इस कानून में परिवार की सभी महिलाएं शामिल हैं। एक अहम बात यह भी है कि इसके पहले बनाए गए सभी कानून विवाहिताओं को ध्यान में रखकर बनाए गए तथा दोषी के रूप में सिर्फ ससुरालं वालों को रखा गया था। यह सुरक्षित आवास की गारन्टी करता है तथा साझा घर की अवधारणा पर आधारित है। हमारे देश में यह अपराध काफी होता है जिसमें घर से निकाल देना या निकाले जाने की धमकी देना शामिल है। एक तरफ जहां मायके वाले यह सोचते थे कि लड़की विदा करने के बाद मायका में उसका कुछ नहीं है वहां पिता की सम्पत्ति में बेटी को बराबर के अधिकार (जो 2005 में ही कानून बना) ने इसे तोड़ा है, वहीं इस अधिनियम के तहत ससुराल का घर पति का ही नहीं अब उसका भी है। यह भी एक महत्वपूर्ण बात है कि शिकायत पीड़िता के अलावा कोई भी दर्ज करा सकता है, जो कि दहेज विरोधी कानून में नहीं था।

इसके मद्देनजर मामले को निपटाने के लिए तीन महीने की अवधि तय की गई है। यह कानून सरकार पर जिम्मेदारी डालता है कि वह हर जिले तथा वार्ड में मजिस्ट्रेट तथा संरक्षण अधिकारी नियुक्त करे। निश्चित ही यह कोई नहीं कहेगा कि दुरुपयोग की सम्भावना से बचने के उपाय नहीं निकाले जाएं, किन्तु शर्त यह होनी चाहिए कि उसे निष्प्रभावी बना कर नहीं बल्कि और प्रभावी बना कर ही इसे किया जाए।

घरेलू हिंसा कानून के तहत राहत के लिए शादी जरूरी नहीं

जनसत्ता संवाददाता

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर। घरेलू हिंसा कानून के तहत राहत पाने के लिए शादी जरूरी नहीं है। बिना शादी किए किसी के साथ रह रही महिलाओं को भी घरेलू हिंसा निरोधक कानून के तहत महिला ने अपने पति अरुण किरपाल और सौतेली बेटी नेहा किरपाल से राहत का अनुरोध किया था। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट प्रवीण सिंह ने कहा कि शादी किए बिना भी अगर कोई महिला किसी व्यक्ति के साथ रह रही है तो वह भी इस कानून के तहत सुरक्षा पाने की हकदार है क्योंकि ऐसे सभी रिश्ते घरेलू संबंध के तहत ही आते है। मजिस्ट्रेट ने महिला से संबंधित इस कानून के उद्देश्य का विश्लेषण करते हुए अपने हाल के आदेश में कहा है कि कोई भी महिला जिनका एक घरेलू संबंध है, घरेलू हिंसा निरोधक कानून के

तहत सुरक्षा पाने की हकदार है। घरेलू हिंसा कानून के एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू का उल्लेख करते हुए अदालत ने कहा कि इसके जरिए पीड़ित को अलग से राहत देने की कोशिश की गई है।

बिंदु की याचिका का बचाव पक्ष ने काफी विरोध किया। बचाव पक्ष का दावा था कि महिला इस कानून के तहत राहत पाने की हकदार नहीं है क्योंकि अरुण के साथ महिला की शादी हिंदू रीति रिवाज से नहीं हुई और दोनों ऐसे ही साथ रह रहे थे। मजिस्ट्रेट प्रवीण सिंह ने अरुण की याचिका को खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि यह साबित हो गया है कि महिला के उनके साथ घरेलू संबंध थे और उसके साथ हिंसा की घटना हुई ऐसे में अदालत पर घरेलू हिंसा कानून के तहत उसे राहत देने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अदालत ने अरुण से बिंदु को वैकल्पिक आवास भी मुहैया कराने को कहा, क्योंकि वह उसके साथ नहीं रहना चाहती और साथ ही महिला को हर महीने खर्च के लिए दस हजार रुपए भी देने को कहा है।

यूं ही पड़ा है घरेलू हिंसा रोकने का कानून

राजस्थान

जयपुर, 25 अक्तूबर (भाषा)। देश में घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 को लागू हुए एक साल बीत गया। लेकिन राजस्थान में कानून की पालना के तहत संरक्षण अधिकारी और सेवा प्रदाता अधिकारी की नियुक्ति नही होने से घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को न्याय नही मिल रहा है। घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 को 26 अक्तूबर 2006 को लागू होने के एक वर्ष के दौरान

भारत में सात हजार नौ सौ तेरह मामले दर्ज हुए जिनमें सबसे ज्यादा तीन हजार चार सौ चालीस मुकदमे अकेले राजस्थान में दर्ज हुए है। राजस्थान में इतने मामले दर्ज होने के बावजूद राजस्थान सरकार ने संरक्षण अधिकारी व सेवा प्रदाता की नियुक्त नही की है। पीपुल्स यूनियन फार लिबर्टीज पीयूसीएल की कविता श्रीवास्तव का कहना है कि पूरे देश में घरेलू हिंसा कानून में दर्ज मामलो में से आधे मामले राजस्थान में दायर किए गए है इसके पीछे पीड़ित महिलाओं की न्याय पान की पहल रही है लेकिन राज्य में संरक्षण अधिकारी सेवा प्रदाता की नियुक्ति नही होने और पुलिस की अक्षमता के कारण पीड़ित महिलाओं को न्याय नही मिल रहा है। देश के सात राज्यों राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, नागालैंड, पुडुचेरी, मेघालय और गोवा, दमन एवं दियू को छोड़कर बाकी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत संरक्षण अधिकारी व सेवा प्रदाता अधिकारी की नियुक्ति हो चुकी है। श्रीवास्तव का कहना है कि संरक्षण अधिकारी एंव सेवा प्रदाता के अभाव में घरेलू हिंसा कानून का क्रियान्वयन अधूरा है। उन्होने कहा- राजस्थान में न्यायपालिका ने तो अपना काम कर दिया है पर राजस्थान सरकार ने इस कानून के तहत अपना दायित्व नही निभाया है। अगर राजस्थान में संरक्षण अधिकारी और सेवा प्रदाता होते तो पुलिस या महिला संगठन कार्यकर्ताओं को हेमलता गुप्ता को हक दिलाने की पहल नही करनी पड़ती।

घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम के तहत राजस्थान में संरक्षण अधिकारी और सेवा प्रदाता नही होने के कारण एक पीड़ित को न्यायालय के निर्देश पर भी न्याय नही मिला तो राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष को न्यायालय के आदेश की पालना कर पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए पुलिस को निर्देश देने पड़े। श्रीवास्तव ने बताया कि घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम का पालन नही करने के कारण राजस्थान उच्च न्यायालय ने पूनम नाथ मामले में राजस्थान सरकार को कड़े निर्देश दिए। उन्होंने दावा किया कि राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां न्यायपालिका ने राज्य सरकार को इस कानून के क्रियान्वयन में ढिलाई के लिए फटकार लगाई है। राजस्थान राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष पवन सुराणा ने कहा- घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम में पुलिस की जिम्मेदारियां तय की गई है लेकिन इस बारे में राज्य सरकार ने पुलिसकर्मियों के प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नही की है। कानून में आवास के अधिकार को सुरक्षित रखने के प्रावधान किए गए है और न्यायालय द्वारा आवास के अधिकार को लागू करने की जिम्मेदारी सम्बधित थानाप्रभारी पर डाली गई है। बावजूद इसके ज्यादातर मामलो मे थानाप्रभारी इसकी पालना नही कर रहे हैं।

पीयूसीएल ने आकड़ों के हवाले से बताया कि राजस्थान में इस कानून के दर्ज तीन हजार चार सौ चालीस मामलों में से सबसे ज्यादा छह सौ चौंतीस मामले जयपुर शहर में दर्ज हुए है जबकि जैसलमेर, झालावाड जिले में महिला हिंसा संरक्षण अधिनियम के तहत एक भी मामला दर्ज नही हुआ है। घरेलू हिंसा में कोटा 371 मामलों के साथ दूसरे नंबर पर, अजमेर 333 मामलों के साथ तीसरे और जोधपुर 274 मामलों के साथ चौथे स्थान पर है।

घरेलू हिंसा अधिनियम पूर्व प्रभाव से प्रभावी: अदालत

नई दिल्ली, 5अगस्त (भाषा)। एक महत्त्वपूर्ण फैसले में अदालत ने कहा है कि एक महिला अपने पर की गई ज्यादतियों के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत राहत मांग सकती है भले ही उसे प्रताड़ित किए जाने के समय यह कानून प्रभावी नहीं हुआ था।

मेट्रोपालिटिन मजिस्ट्रेट नीरजा भाटिया ने कहा कि मौजूदा कानून सिर्फ उन उपायों की अभिव्यक्ति है जो पहले प्रकट नहीं थे और अब सुलभ हैं। उन्होंने कहा कि इस कानून को पूर्व प्रभाव से देखना चाहिए।

पिछले साल 26 अक्तूबर को इस कानून के प्रभावी होने से पूर्व के मामले में घरेलू हिंसा से संबंधित शिकायत के बारे में फैसला करते हुए भाटिया ने कहा कि कानून में मौजूदा अधिकारों को प्रभावी बनाने की बात की गई है जिनको देश का कानून मान्यता देता है।

महिला को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए कानून के उद्देश्य के संदर्भ में उन्होंने कहा कि इस कानून को अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त अधिकारों के मद्देनजर प्रभावी किया गया है।

घरेलू हिंसा कानून में नहीं होगा बदलाव

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर (एसएनबी)। महिला और बाल विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रेणुका चौधरी ने कहा है कि सरकार का घरेलू हिंसा कानून में संशोधन करने का कोई इरादा नहीं है। हालांकि उन्होंने यह जरूर कहा है कि फरवरी में इस बारे में महिलाओं और पुरुषों का गोलमेज सम्मेलन कराकर इस कानून की खामियों का पता लगाने का प्रयास किया जाएगा।

श्रीमती चौधरी ने बताया कि घरेलू महिला हिंसा कानून के दुरुपयोग की शिकायतें ज्यादा नहीं हैं। करीब सौ महिलाओं का जीवन इस कानून की वजह से बचा है। राज्यों की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि वे इस कानून को अधिक महत्व नहीं दे रहे हैं जो उचित नहीं है। घरेलू हिंसा के सबसे ज्यादा 3440 मामले राजस्थान में दर्ज किए गए हैं। इसके बाद केरल का नंबर आता है जहां 1028 मामले दर्ज किए गए हैं। बिहार में 64 और उत्तराखंड में 145 मामले दर्ज हुए हैं। उत्तर प्रदेश ने अपने यहां दर्ज हुए मामलों के बारे में कुछ नहीं बताया है। मणिपुर, मेघालय और मिजोरम भी अपने यहां दर्ज हुए मामले नहीं बता रहे हैं। अपने राज्य आंध्र प्रदेश को बेहतर बताते हुए उन्होंने कहा कि वहां घरेलू हिंसा कानून पर ठीक से अमल हो रहा है।

कामकाजी महिलाओं को घर में झेलनी पड़ती है प्रताड़ना

नई दिल्ली, 4 अगस्त (भाषा)। दफ्तर में पुरुषों को पीछे छोड़ रहीं कामकाजी महिलाओं को घर में विपरीत परिस्थितियों से जूझना पड़ता है। इसके लिए जिम्मेदार सास-ससुर और पति होते हैं। पुरानी विचारधारा के सास-ससुर को इन महिलाओं का दफ्तर जाना रास नहीं आता। उद्योग चैंबर एसोचैम के कराए एक सर्वेक्षण में यह खुलासा हुआ है। सर्वे दिल्ली, बंगलूर, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई में 1000 कामकाजी महिलाओं को शामिल कर किया गया।

एसोचैम के सर्वे के मुताबिक, परिवार के 80 फीसद सदस्य चाहते हैं कि उनकी बहू दफ्तर का काम छोड़कर उनकी बात सुने और उनकी जरूरतों को पूरा करे। सर्वे में कहा गया है कि जिन महिलाओं के पास अपनी संपत्ति है, उन्हें सास, ससुर, ननद या पति की कम प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। करीब 35 फीसद ऐसी महिलाओं को हिंसा का सामना करना पड़ा जिनके पास अपनी कोई संपत्ति नहीं है। सर्वे में शामिल करीब 38 फीसद महिलाओं को विवाहित जीवन में हिंसा का सामना करना पड़ा जबकि 72 फीसद को मानसिक अवसाद झेलना पड़ा। शहरी क्षेत्रों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों की कामकाजी महिलाओं को ज्यादा प्रताड़ना मिली।

एसोचैम ने कहा कि जिन महिलाओं के पास स्थायी नौकरी है, उनके मामले में दीर्घकाल में शारीरिक हिंसा का जोखिम कम रहा। एसोचैम के महासचिव डीएस रावत ने एक बयान में कहा कि नौकरी महिलाओं को उतनी सुरक्षा नहीं देती, जितना संपत्ति की स्वामिनी होने से सुरक्षा की गारंटी होती है। जिस महिला के पास अपनी जमीन या मकान है, उसके पास आजीविका के ज्यादा विकल्प हैं और उसे अपनी ताकत का भी अहसास होता है।

पीड़िता को पति के घर से न निकाला जाए

नई दिल्ली, 31 अगस्त (एसएनबी)। घरेलू हिंसा के मामले में आज हाईकोर्ट ने एक पत्नी की याचिका पर स्थगनादेश हटाते हुए निर्देश दिया है कि पीड़िता को उसके पति के घर से न निकाला जाए तथा यथास्थिति बनाए रखा जाए।

न्यायमूर्ति बीवी गुप्ता की पीठ के समक्ष पेश मामले में बताया गया कि सुंदर नगर निवासी अमित सुंदरा की पत्नी शीतल खन्ना ने घरेलू हिंसा संरक्षण कानून के तहत मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में मामला दाखिल करते हुए प्रतिमाह 45 हजार रुपए गुजारा भत्ता व उसे पति के घर में ही रहने का निर्देश देने की मांग की थी।

बेवजह सजा भुगत रहे हैं महिला कैदियों के बच्चे

कुणाल/सहारा न्यूज ब्यूरो

नई दिल्ली, 5 अगस्त।

कहा जाता है कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं। यह बात सही भी है, परंतु आज देश की विभिन्न जेलों में सैकड़ों बच्चे कैद हैं। ऐसा नहीं कि ये बच्चे किसी अपराध में कैद हैं, बल्कि ये सभी अपनी मा के अपराध के कारण जेलों में रहने को मजबूर हैं।

कहा जाता है कि मां-बाप के कर्मों का फल बच्चों को भुगतना पड़ता है। बच्चों को अच्छे संस्कार देने और उसके सुनहरे भविष्य को बनाने में पिता से अधिक योगदान मां का होता है। अगर मां ही अपराधी हो तो बच्चों को कैसे संस्कारी बनाया जा सकता है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के मुताबिक आज सैकड़ों बच्चे ऐसे हैं, जिनकी उम्र तो खेलने-कूदने की है लेकिन वे जेलों में बंद हैं। रिकार्ड के मुताबिक अधिकांश मामले पति या ससुराल वालों की हत्या के हैं, जिस कारण कई महिलाएं जेल में बंद हैं। हिंसात्मक घटनाओं, अपहरण, आपसी झगड़ों के कारण भी महिलाएं सजायाफ्ता हैं या फिर विचाराधीन कैदी हैं।

आज भी देशभर में हजार से ज्यादा महिला कैदी हैं। सिर्फ वर्ष 2006 में ही लगभग 500 महिला कैदी थीं। उनमें से 34 महिला कैदी गर्भवती थीं और 71 बच्चे अपनी मां के साथ जेल में हैं। झारखंड में 15, असम में 12, बिहार में 12, छत्तीसगढ़ में 25, हरियाणा में 10, गुजरात में 17, कर्नाटक में 25, मध्य प्रदेश में 49, केरल में 55, महाराष्ट्र में 45 और उत्तर प्रदेश में 20 महिला कैदी जेल में बंद हैं। वहीं झारखंड में तीन, असम में तीन, बिहार में तीन, छत्तीसगढ़ में सात, हरियाणा में दो, गुजरात में पांच, कर्नाटक में सात, मध्य प्रदेश में 11, केरल में नौ,

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो ने किया खुलासा

महाराष्ट्र में नौ और उत्तर प्रदेश में दो बच्चे अपनी मां के साथ जेल में रह रहे हैं। यद्यपि संविधान की सातवीं सूची में जेल राज्य का विषय है। जेल प्रबंधन और प्रशासन की जिम्मेदारी मुख्यतः राज्य सरकारों की है। वर्ष 2003 में राज्य सरकारों के विचारार्थ एक मॉडल जेल नियमावली तैयार की गई। यह निर्धारित करती है कि छह वर्ष तक की आयु के बच्चे का यदि कोई अन्य प्रबंध न है तो उसे उसकी मां के साथ रहने दिया जाए।

नियमावली के अनुसार महिला कैदियों के बच्चों के लिए जेल प्रशासन शिशु सदन और नर्सरी स्कूल खोलने का प्रावधान था। बच्चों की खुराक की मात्रा का निर्णय चिकित्सा मानदंडों और जलवायु संबंधी स्थितियों के अनुरूप बढ़ते बच्चों की कैलोरी संबंधित जरूरतों को ध्यान में रखकर ही लेने पर जोर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी वर्ष 2006 में इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए। लेकिन आज भी जेलों में ऐसी सुविधा नहीं है।

इस विषय में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी किरण बेदी का कहना है कि आज वाकई देश की कई जेलों में ऐसे बच्चे कैद हैं। सुश्री बेदी ने बताया कि उन्होंने इंडिया विजन फाउंडेशन नामक संस्था 1994 में शुरू की। इस संस्था का काम था कि यह बच्चे के लिए ऐसा काम करे कि बच्चों को ऐसा न महसूस हो कि वे कैदी हैं। बल्कि उन्हें घर जैसा माहौल मिले। संस्था ऐसे बच्चों की पढ़ाई-लिखाई पर भी ध्यान देती है और सैर-सपाटा भी कराती है।

किरण बेदी का कहना है कि देश की हर जेल में जहां महिला कैदी हैं, वहां इस तरह की व्यवस्थाएं अवश्य होनी चाहिएं। इसके अलावा कोई स्कूल या कोई शिक्षण संस्थान आगे आये और इन बच्चों को पढ़ाने का बीड़ा उठाए। ताकि ये बच्चे भी होनहार बन सकें।

गीतांजलि मामले में दखल नहीं देगा महिला आयोग

नई दिल्ली, 12 सितंबर (जनसत्ता)। राजधानी की सड़कों पर भीख मांगती पाई गई मॉडल गीतांजलि के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगा। आयोग का गीतांजलि के मामले में दखल देने या इस बाबत किसी तरह की कोई समिति बनाने का कोई विचार नहीं है। मशहूर डिजाइनरों के परिधानों के लिए माडलिंग कर चुकीं गीतांजलि पिछले दिनों सड़कों पर भीख मांगती दिखी थी। यह मामला सामने आने के बाद दिल्ली महिला आयोग ने गीतांजलि को अपनी देखरेख में ले लिया था। हाई कोर्ट ने बेसहारा और गलियों में घूमने वाले मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों के प्रति सरकार की उदासीनता पर बुधवार को चिंता जाहिर की। कोर्ट ने ऐसे लोगों के पुनर्वास के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में दिल्ली सरकार से जवाब मांगा। कोर्ट एक जनहित याचिका पर विचार कर रही है, जिसमें मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों को राहत मुहैया कराने के लिए सरकार को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।

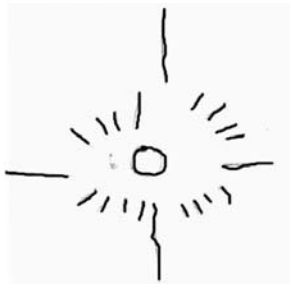

एकतरफा प्यार में ब्लेड से हमला

सहारा न्यूज ब्यूरो

बाहरी दिल्ली, 4 सितम्बर।

शादी से इनकार करने पर युवक ने अपनी मां के साथ मिलकर एक विवाहिता पर ब्लेड से हमला कर दिया। दोनों ने उसके चेहरे पर कई वार किए और फरार हो गए। यह वारदात ओमविहार फेज-2

- विवाहिता पर बना रहे थे शादी के लिए दबाव
- हमले में प्रेमी की मां भी शामिल

में सोमवार देर रात हुई। मौके पर पहुंची पुलिस घायल महिला को डीडीयू अस्पताल ले गई, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे छुट्टी दे दी गई। बताया जाता है कि घायल महिला व आरोपित के बीच कभी प्रेम संबंध थे लेकिन महिला की शादी हो जाने के बाद ये टूट गए। बावजूद इसके दोनों मां-बेटे उस पर फिर से शादी के लिए दबाव बना रहे थे।

ओम विहार फेज 2 में रहने वाली रजनी (बदला हुआ) के घर के सामने प्रेम कुमार रहता है। दोनों के बीच प्रेम संबंध थे लेकिन रजनी की शादी सोनीपत के एक लड़के के साथ हो गई। प्रेम व उसकी मां शारदा देवी पिछले तीन महीने से रजनी पर फिर से शादी करने का दबाव बना रहे थे, लेकिन उसने मना कर दिया। इससे गुस्साए दोनों मां-बेटा सोमवार रात करीब साढ़े बारह बजे रजनी के घर में घुस गए और उसके ऊपर ब्लेड से हमला कर दिया। इससे रजनी बुरी तरह लहूलुहान हो गई। घटना के वक्त रजनी की मां व भाई बाहर गए हुए थे। जब दोनों लौटे तो मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस रजनी को दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल ले गई। पुलिस ने मुताबिक घटना के बाद से प्रेम और उसकी मां घर छोड़कर फरार हो गए। दोनों की गिरफ्तारी के लिए जगह-जगह छापेमारी की जा रही है। जानकारी के मुताबिक प्रेम भी शादीशुदा है और उसने दो बच्चे भी हैं। वह केबल ऑपरेटर है।

जुनून की इंतहा

- **05 जुलाई :** जनकपुरी इलाके में युवती को कैंची से गोदा।
- **11 जुलाई :** हौजकाजी में महिला की गला दबाकर हत्या।
- **27 जुलाई :** बवाना में महिला को गोली मारकर दो युवक फरार।
- **02 अगस्त :** उत्तमनगर में दो बहनों को चाकुओं से गोदा।
- **12 अगस्त :** महिला पर पेट्रोल डालकर जलाया ।
- **16 अगस्त :** ओखला इलाके में दो युवकों ने 16 वर्षीय किशोरी पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाई। दो दिन बाद अस्पताल में मौत।
- **23 अगस्त :** प्रशांत विहार इलाके में एक ड्राइवर ने एकतरफा प्यार में प्रेमिका के सामने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली।
- **24 अगस्त :** शादीनगर में एक युवक ने अपनी प्रेमिका व उसके दो बच्चों पर दरांती से जानलेवा हमला किया और इसके बाद ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना में एक बच्चे की मौत, जबकि दूसरा बच्चा व महिला अस्पताल में भर्ती, हालत गंभीर।
- **03 सितम्बर :** उत्तमनगर में प्यार में पागल प्रेमी ने शादीशुदा महिला को ब्लेड मारकर किया घायल।

दहेज हत्या के लिए फांसी की वकालत की महिला आयोग ने

नई दिल्ली, 14 अक्तूबर (भाषा)। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष गिरिजा व्यास ने कहा है कि दहेज मृत्यु के क्रूरतम मामलों में दोषी को मृत्युदंड की सजा दी जानी चाहिए। व्यास ने कहा कि मैं मानती हूं कि दहेज मृत्यु के क्रूरतम मामलों में दोषी को मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। ऐसे मामलों को हत्या के मामलों की तरह निपटाया जाना चाहिए और इन्हें दुर्लभतम मामले माना जाना चाहिए जिनमें मृत्युदंड की सजा दी जा सकती है। गिरिजा व्यास विधि आयोग के उस बयान पर बोल रही थी जिसमें उसने दहेज से होने वाली मौत की तुलना हत्या से करने से इनकार कर दिया था।

हाल ही में विधि आयोग ने दहेज मृत्यु के मामलों पर अपनी रिपोर्ट में दोषी के लिए मृत्युदंड की सजा के सुझाव को नकार दिया था। उसने कहा था कि अधिकतम सात से दस साल की सजा दोषी को दी जानी चाहिए। हालांकि आयोग ने कहा कि दहेज के लिए होने वाली हत्याओं में आरोपियों को मामूली आधार पर रिहा कर से अपराध को बढ़ावा मिलेगा। आयोग ने कहा था कि दहेज के लिए होने वाली मौत से संबंधित मामलों में जब पीड़ितों की पृष्ठभूमि ग्रामीण व अशिक्षित हो तो अदालतों को अधिक सजग रहना चाहिए।

विधि आयोग ने रिपोर्ट में यह भी कहा था कि दहेज मृत्यु के अपराध को हत्या का मामला नहीं मानना चाहिए। अन्यथा दोनों मामले स्पष्ट नहीं हो पाएंगे। इसलिए दहेज मृत्यु और हत्या के अपराधों को अलग-अलग ही रहने देना उचित होगा। आयोग ने हालांकि कहा कि दोनों ही मामलों में समान दंड देना तर्कसंगत नहीं होगा। व्यास ने कहा कि देश में न्यायपालिका सर्वोच्च है और मृत्युदंड देना या न देना उसका विशेषाधिकार होना चाहिए। मैं मानती हूं कि अधिकतम सजा उम्र कैद तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए। विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एआर. लक्ष्मणन ने 11 अक्तूबर को अपनी रिपोर्ट देने के बाद कहा था कि मृत्युदंड देने की सजा की सिफारिश नहीं करने का निर्णय इस वजह से लिया गया क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मृत्युदंड की सजा को नकारा जा रहा है।

पंजाब में विधवा को निर्वस्त्र घुमाया

अमृतसर, 9 सितम्बर (एजेंसी)। पंजाब में एक बेहद दुखद घटना में 52 वर्षीय एक विधवा को निर्वस्त्र कर सबके सामने घुमाया गया। इसके बाद उसकी पिटाई की गयी और मुंह पर कालिख पोत दी गयी।

पुलिस ने बताया कि अमृतसर से थोड़ी दूर रामदीवाली हिन्दुआना गांव में छह लोग एक विधवा के घर में घुस गए और उसे जबरन घर से निकाला। उसके कपड़े फाड़ दिए और उसे पेड़ से बांध दिया। उसके बाद उसकी पिटाई की और उसके मुंह पर कालिख पोत दी। उन्होंने आसपास के लोगों को भी उसे मदद न देने की धमकी दी। बाद में लोगों ने पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस ने छह लोगों को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने बताया कि आरोपी सिंगारा सिंह, उसके बेटे गुरुमीत सिंह, पत्नी अमरजीत कौर और दो बहनों के विरुद्ध आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि कुछ वर्ष पहले महिला के परिवार का एक सदस्य गांव में आरोपी परिवार की एक लड़की को लेकर भाग गया था। आरोपी परिवार ने उस घटना का बदला लेने के लिए आज तब ऐसा किया जब वह घर में अकेली थी।

बंगाल और असम से हो रही है लड़कियों की तस्करी

एजेंसी
नई दिल्ली, 22 अगस्त।

देश के दो राज्यों पश्चिमी बंगाल और असम से पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में लड़कियों की तस्करी के मामलों में वृद्धि हो रही है। यहां उनका यौन शोषण होता है और उन्हें पुत्र पैदा करने के लिए विवश किया जाता है।

संयुक्त राष्ट्र विकास कोष (यूएनडी) द्वारा किए गए एक अध्ययन 'दक्षिण एशिया में मानव तस्करी और एचआईवी' की रिपोर्ट में कहा गया है कि पश्चिमी बंगाल और असम से पंजाब और हरियाणा जैसे प्रगतिशील राज्यों में लड़कियों की तस्करी के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है जिसके कारण इन दोनों राज्यों के लिंग अनुपात में काफी अंतर आ गया है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि पंजाब और हरियाणा में तस्करी करके लाए जाने के बाद इनका शोषण होता है और उनसे पुत्र पैदा करने के लिए जबरदस्ती की जाती है।

इस संबंध में सबसे दुखदाई पहलू यह है पुत्र पैदा होने के बाद उसकी मां को छोड़ दिया जाता है या फिर किसी दूसरे पुरुष को सौंप दिया जाता है। इस अध्ययन में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका और नेपाल को शामिल किया गया है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि तस्करी करके लाई गई लड़कियों में युवा लड़कियों की संख्या अधिक है क्योंकि इनकी मांग अधिक है जिसके कारण इन दोनों राज्यों में लिंग अनुपात गड़बड़ा रहा है।

देह व्यापार कानून में संशोधन पर एतराज

संगठनों ने रेणुका को लिखा पत्र, स्थायी समिति की सिफारिशों को जोड़ने की मांग

जनसत्ता संवाददाता

नई दिल्ली, 30 अगस्त। देह-व्यापार निरोधक अधिनियम (आईटीपीए) में किए जा रहे बदलावों पर कई संगठनों ने एतराज जताया है। उनका एतराज इस बात पर ज्यादा था कि संसद की स्थायी समिति ने जो सिफारिशें की थी, उसकी अनदेखी की गई है। प्रस्तावित कानून में जो संशोधन किए जा रहे हैं उन्हें सेक्स वर्कर्स बेमानी बता रहे हैं। उनका मानना है कि अगर इन संशोधनों को लागू कर दिया गया तो संशोधन के पीछे का उद्देश्य बेकार हो जाएगा। संगठनों ने गुरुवार को प्रेस कांफ्रेंस कर इस मुद्दे पर गुस्सा जताया और केंद्रीय महिला व बाल कल्याण मंत्री रेणुका चौधरी को पत्र लिखकर स्थायी समिति की सिफारिशों को प्रस्तावित कानून में जोड़ने की मांग की।

रेणुका चौधरी को लिखे पत्र में संगठनों ने कहा कि महिला एवं बाल कल्याण विभाग ने देह व्यापार और महिलाओं का शोषण करने वालों के खिलाफ जो प्रस्तावित संशोधन है उसमें कानून और ज्यादा मजबूत व कड़ा होगा। इन प्रस्तावों में काफी खामियां हैंऔर इनमें सुधार की जरूरत है वरना एचआईवी को रोकने के हमारे जो प्रयास हैं, वे बेकार हो जाएंगे। उन्होंने हैरानी जताई कि विभाग ने इस तरह की खामियों को कैसे छोड़ दिया।

उन्होंने कहा कि वेश्यावृत्ति की धारा 2 (एफ) में की गई परिभाषा को भी संशोधित किया गया है। पहले देह व्यापार पैसे के बदले शरीर का सौदा था पर अब इसमें उपहार या नकदी जोड़ दिया गया है। अगर ये शब्द कानून में जोड़ दिए गए तो किसी भी तरह का यौन संबंध इसके दायरे में आ जाएगा जो कानून बनाने वालों की मंशा नहीं है। हम इस परिभाषा को नकारते हैं और पहले वाली परिभाषा बरकरार रखना चाहते हैं।

क्यों है आपत्ति

- संशोधन से कड़ा होगा कानून
- प्रस्तावों में कई खामियां गिनाई
- उपहार-नकदी जोड़ने का विरोध
- सजा और जुर्माने पर भी एतराज

कानून की धारा 2 (जे) में व्यावसायिक यौन उत्पीड़न की परिभाषा में संशोधन प्रस्तावित है। इसमें यौन सेवाओं की अदला-बदली या ऐसा करने का वादा, जिसमें यौन संबंध शामिल हो या नहीं हो सकता है, को दर्शाया गया है। संगठनों ने इस परिभाषा का भी विरोध किया और कहा कि इससे ज्यादा समस्याएं पैदा होंगी। संगठनों को सबसे ज्यादा आपत्ति धारा 5 (सी) से थी जिसमें साफ कहा गया कि चकलाघरों में यौन संबंध के इरादे से आने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा और उसे तीन महीने का कारावास या 20 हजार जुर्माना पहले अपराध के लिए और दूसरी बार या इसके बाद के अपराध के लिए छह महीने की सजा और 50 हजार रुपए तक जुर्माना भी किया जा सकता है इसका विरोध संगठनों ने किया और कहा कि पुलिस को ज्यादा अधिकार मिल जाएंगे और वे हरेक व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं जो चकलाघर के दायरे में होगा। संगठनों ने कहा कि अगर वेश्याओं के पास ग्राहक नहीं आएंगे तो उनकी रोजी-रोटी कैसे चलेगी। दूसरे देह व्यापार अंडर ग्राउंड हो जाएगा और माफिया के हाथों में चला जाएगा। तीसरे एड्स व एचआईवी जैसी बीमारियों से लोग ग्रस्त हो जाएंगे।

संगठनों को आईटीपीए की धारा चार में इस संशोधन पर भी कड़ी आपत्ति है कि चकलाघरों की कमाई पर पलने वाले सभी लोगों को भी दंडित किया जाएगा।

दुरबार महिला समन्वय समिति की निदेशिका भारती डे ने कहा कि अगर हमारे ग्राहकों को हमसे सेवा लेने पर गिरफ्तार किया जाता है तो यह अप्रत्यक्ष रूप से हमारे आजीविका पर लात मारी जा रही है और हमें गरीबी व भुखमरी की तरफ धकेला जा रहा है। उन्होंने मांग की कि आईटीपीए में ऐसा कोई संशोधन न किया जाए जिससे देश के करीब पांच करोड़ सेक्स वर्कर्स की जिंदगी पर बुरा असर पड़े।

नेशनल नेटवर्क आफ सेक्स वर्कर्स के डा एस जान ने कहा कि मौजूदा कानून न केवल दोषपूर्ण व अस्पष्ट है बल्कि इसके कुछ ऐसे संभावित कारक भी मौजूद हैं जिसकी वजह से समुदाय और आम जनता पर इसका दुरुपयोग और शोषण के हथियार के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

बोलीं सेक्स वर्कर भूखों मर जाएंगे

नई दिल्ली, 30 अगस्त (एसएनबी)। सेक्स वर्करों ने कहा कि सरकार 'देह व्यापार निरोधक अधिनियम' (आईटीपीए) द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से उनके सामने जीविकोपार्जन की समस्या खड़ी कर रही है। इनका मानना है कि बिल पास होने के बाद लगभग पांच करोड़ सेक्स वर्कर गरीबी और भुखमरी के कगार पर पहुंच जाएंगे। सेक्स वर्करों के पक्ष में अपना समर्थन जाहिर करते हुए नाज फाउंडेशन की निदेशक अंजली गोपालन ने पिछले साल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से प्राप्त 'अनन्या' पुरस्कार सरकार को वापस लौटाने की घोषणा की। कोलकाता की सेक्स वर्कर और दुरबार महिला समन्वय कमेटी की अध्यक्ष माला ने कहा कि सरकार के इस बिल को लाने से न केवल सेक्स वर्करों की रोजी-रोटी छिनेगी बल्कि समाज में बलात्कार की घटनाओं को भी बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा कि सरकार जिस तरह से इस बिल के माध्यम से हमारे पास आने वाले ग्राहकों को अपराधी मानकर गिरफ्तार करने की बात कर रही है उससे लग रहा है जैसे हमारे पास आने वाला ग्राहक कोई बड़ा गुनाह कर रहा है। इसी तरह अन्य सेक्स वर्करों ने भी कहा कि राजधानी में हीं 14 साल से कम उम्र के बच्चे दुकान, रेस्त्रां आदि में काम कर रहे हैं। सरकार उनके बारे में सोचने की बजाय हम लोगों को परेशान कर रही है।

किसके भरोसे भेजें बेटियों को स्कूल

संजय दुटेजा/एसएनबी
नई दिल्ली, 31 अगस्त।

सर्वोदय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की शिक्षिका उमा खुराना द्वारा छात्राओं से जिस्मफरोशी कराये जाने के खुलासे के बाद कल तुर्कमान गेट और बुलबुलीखाना में भड़की हिंसा भले ही शांत हो गई है लेकिन क्षेत्रीय लोगों के दिलों में अभी भी गुस्सा है। अभिभावक तो कहते हैं कि उमा खुराना को जिंदा जला दिया जाये या फिर क्षेत्र की जनता के हवाले किया जाए वहीं कुछ लोगों का कहना है कि अब स्कूलों में किसके भरोसे बेटियों को भेजा जाए। लोगों के गुस्से को देखते हुए ही प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से न केवल स्कूल की छुट्टी करा दी गई है बल्कि क्षेत्र में बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किये गये हैं।

■ कलियुगी टीचर उमा खुराना को सूली पर चढ़ा देना चाहते हैं अभिभावक

'राष्ट्रीय सहारा' ने आज क्षेत्र के विभिन्न मोहल्लों का दौरा कर अभिभावकों को सुना तो हर जुबान से उमा खुराना को जिंदा जला देने या फांसी पर चढ़ा देने और जनता के हवाले कर देने के स्वर उठे। चिली कब्र निवासी मुबीना की बेटी इसी स्कूल में आठवीं कक्षा की छात्रा है उसका कहना है कि अब तो बेटी को स्कूल भेजते भी डर लगता है। इसी क्षेत्र की गजरा बारी निवासी तसलीमा की बेटी छठी कक्षा में है, वह कहती है कि ऐसी टीचर को तो मौत दे देनी चाहिए। तुर्कमान गेट निवासी रूबीना की दो बेटियां छठी व दूसरी कक्षा की छात्रा है वह कहती है कि उमा खुराना जैसी औरतों का जिंदा रहना ठीक नहीं है।

डिलाइट सिनेमा के निकट ही रहने वाले कासिम की भी दो बेटियां दसवीं व सातवीं में इस स्कूल में पढ़ती हैं। उनका कहना है कि बच्चों से गंदे काम करने की घटना ने तो हिला कर रख दिया है। ऐसी टीचर को आम जनता के हवाले क्यों नहीं किया गया। गंजीखाना निवासी सिराबुद्दीन की बेटी छठी कक्षा में है, उससे बात की गई तो उसकी जुबान से गुस्से की आग निकलती दिखाई दी। गंजीखाना निवासी ही जहांगीर की बेटी अभी दूसरी कक्षा में है। जहांगीर का कहना है कि इस शर्मनाक कांड पर गुस्सा न करें तो क्या करें। कौन अपनी बेटी को इस गलीच धंधे में डालेगा।

स्कूल की अभिभावक शिक्षक एसोसिएशन के सचिव कयामुद्दीन कहते हैं कि लोगों का गुस्सा स्वाभाविक है और इस गुस्से के लिए शिक्षा विभाग भी जिम्मेदार है। कयामुद्दीन का कहना था कि अब तो अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजने से कतरा रहे हैं। वह कहते हैं कि स्कूल के माहौल को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा और लोगों के मन में बैठे डर को भी निकालने का प्रयास किया जाएगा ताकि लोग फिर से अपने बच्चों को स्कूल भेजे। उधर, लोगों को इस गुस्से को देखते हुए आज क्षेत्र में बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गये।

समाज

तेजाब का दंश

अंजलि सिन्हा

हाल ही में तेजाबी हमले की शिकार एक किशोरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली की एक अदालत ने सरकार को सुझाव दिया कि हमला करने वाले की सजा को और सख्त बनाने के लिए वह पहले के कानून में संशोधन करे। पीड़ित महिला के ठीक से इलाज, मुआवजा और अन्य सहायता के लिए भी कदम उठाने की जरूरत है। पिछले साल इस तरह के हमले की शिकार महिलाओं के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में पीड़ित महिलाओं ने अपनी मार्मिक आपबीती जनता के सामने रखी थी। दरअसल, दहेज हत्या, सती प्रथा, गर्भ परीक्षण के जरिए मादाभ्रूण की हत्या या कन्या शिशुओं की हत्या के रूप में स्त्री को जिस बर्बरता का शिकार होना पड़ता है, तेजाबी हमला उसी की एक नई कड़ी है। सच तो यह है कि इस प्रकार के क्रूर हमलों को हम स्त्री के प्रति समाज के रवैए से अलग करके नहीं देख सकते। अक्सर ऐसी घटना को अंजाम देने वाले व्यक्ति को मनोरोगी या गुस्सैल स्वभाव का बताते हुए लीपापोती की कोशिश शुरू हो जाती है और उसके सामाजिक संदर्भ से उसे काट दिया जाता है।

तेजाबी हमले के जितने मामले सामने आए हैं, उनके अध्ययनों के आधार पर कहा जा सकता है कि चमड़ी से लेकर अंदर तक इसका गहरा असर पड़ता है। कभी-कभी तेजाब हड्डियों को भी गला देता है, आंखों की रोशनी खत्म कर देता है और व्यक्ति की कार्यक्षमता को भी प्रभावित करता है। ऐसे हमले का शिकार होने वालों के लिए ताउम्र समाज में साधारण व्यक्ति की तरह जीना संभव नहीं हो पाता है। चेहरे और शरीर के विकृत रूप के चलते वे खुद भी हीनभावना का शिकार हो जाते हैं। दूसरी ओर, ऐसे मामलों के प्रति असंवेदनशील रहने वाला समाज भी स्थिति को और गंभीर बना देता है। आमतौर पर तेजाब से जलाए जाने के बाद इसका इलाज भी बेहद महंगा होता है। अगर पीड़ित गरीब परिवार से है तो उसके लिए यह इलाज और रखरखाव असंभव-सा हो जाता है।

यह प्रवृत्ति सिर्फ भारत में सीमित नहीं है। भारतीय उपमहाद्वीप के पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे मुल्कों के अलावा आसपास के कई देशों से इस किस्म के समाचार मिलते रहते हैं। एक अध्ययन के मुताबिक पिछले कुछ वर्षों में बांग्लादेश में तेजाब फेंकने की घटनाओं में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। मुश्किल यह है कि ऐसे मामलों में पकड़े जाने के बावजूद सबूतों के अभाव में ज्यादातर दोषी बरी हो जाते हैं। अध्ययनों में शादी से इंकार, दहेज, पारिवारिक झगड़े, वैवाहिक तनाव, जमीन विवाद और कुछ अन्य कारणों को इस तरह के हमले के लिए जिम्मेवार बताया गया है।

भारत में बंगलुरु और मुंबई में तेजाबी हमले के पीड़ितों ने अपने अधिकारों और एक दूसरे की सहायता के लिए समूहों का गठन किया है। मुंबई में 'बर्न सर्वाइवर ग्रुप ऑफ इंडिया' के सदस्यों की तकलीफों का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उनमें कई इस बात से बेहद दुखी हैं कि उनके बच्चे उन्हें देख कर डर जाते हैं और चिल्ला कर उनसे दूर भागते हैं। सवाल है कि इस तरीके का इस्तेमाल कर बदला लेने की प्रवृत्ति किसी इंसान के भीतर क्यों पनपती है। कई मामलों में देखा जाता है कि शादी या प्रेम से इंकार करने पर पुरुष अपनी इस मानसिकता के कारण किसी महिला पर तेजाब से हमला करते हैं कि वह उसकी न हो सकी तो किसी और की भी न हो सके। यह किसी स्त्री को पुरुष द्वारा अपनी संपत्ति मानने और उसे स्वतंत्र इंसान न समझ कर भोग की वस्तु समझने का ही परिणाम है। जाहिर है, इस मानसिकता के कारणों को समझ कर उनके उन्मूलन के उपाय करने के साथ-साथ दोषी व्यक्ति पर त्वरित कार्रवाई कर उसे सख्त सजा दिलाने की जरूरत है, ताकि ऐसी मंशा रखने वालों को सबक मिल सके।

तेजाबी हमलों की शिकार महिलाओं की समस्याओं को लेकर कर्नाटक में 'बर्न्ट नॉट डिस्ट्राइट' नाम से एक फिल्म भी बनाई गई है, जिसमें इनके संघर्ष और जिजीविषा को दिखाया गया है। करीब तीन साल पहले अम्मू जोसफ ने ऐसे हमलों के खिलाफ समाज में बढ़ती जागृति पर केंद्रित एक लेख में लोगों की सक्रियता के कारण अपराधियों के जेल भेजे जाने का ब्योरा दिया था। बीस वर्षीया हसीना हुसैन पर 1999 में उसे नौकरी देने वाले एक व्यक्ति जोसफ रोड्रिक्स द्वारा किए गए तेजाबी हमले का मामला काफी चर्चित हुआ था। पांच साल बाद अठारह ऑपरेशन और छह लाख रुपए खर्च करने के बावजूद हसीना पूरी तरह ठीक नहीं हो सकी। उसकी हाथों की उंगलियां आपस में जुड़ गई हैं और आंखों की रोशनी भी पूरी तरह नहीं लौट सकी। उस पर हमला करने वाला जोसेफ पांच साल की सजा काट कर और तीन लाख रुपए जुर्माना देकर लौट आया है। लेकिन हसीना को जिंदगी भर के लिए जो दंश झेलना पड़ेगा, उसकी कीमत कौन चुकाएगा।

बाल विवाह रोकने के लिए अमेरिकी संसद में विधेयक पेश

वाशिंगटन, 31जुलाई (भाषा)। अमेरिकी संसद के सदन प्रतिनिधि सभा में एक विधेयक पेश किया गया है जिसका मकसद अनुदान के जरिए भारत सहित तमाम विकासशील देशों में बाल विवाह को रोकना है। 'इंटरनेशनल प्रोटेक्टिंग गर्ल्स बाय प्रीवेंटिंग चाइल्ड मैरिज एक्ट-2007' नामक इस विधेयक को डेमोक्रेट सांसद बेट्टी मैककुलम ने पेश किया है। माना जा रहा है कि सीनेट में यह विधेयक सितंबर के पहले हफ्ते में पेश किया जाएगा।

इंटरनेशनल सेंटर फार रिसर्च आन वूमैन (आईसीआरडब्लू) की अध्यक्ष गीता राव गुप्ता ने कहा, 'इस विधेयक में माना गया है कि बाल विवाह नियंत्रण कार्यक्रमों में पर्याप्त मात्रा में निवेश से विकासशील देशों में लड़कियों और उनके परिवारों के लिए उम्मीद की किरण दिखाई देगी।' विधेयक में विदेश मंत्रालय को निर्देश दिया गया है कि वह मानवाधिकारों पर वार्षिक रिपोर्ट में बाल विवाह के बारे में तथ्यपरक जानकारी प्रकाशित करे। विधेयक में प्रावधान किया गया है कि जिन विकासशील देशों में बाल विवाह बड़ी संख्या में होते हैं वहां पर इन्हें रोकने के लिए अमेरिका सहायता राशि देगा।

मैकुलम ने कहा, 'कोई भी लड़की चाहे वह कहीं भी हो, उसे स्वस्थ, सुरक्षित और शिक्षित होकर आगे बढ़ने का अधिकार है। उसे यह फैसला करने का भी मौलिक अधिकार है कि वह कब और किससे शादी करे।' उप सहारा अफ्रीका, दक्षिण एशिया के कई भागों और मध्यपूर्व में बाल विवाह बड़ी संख्या में होते हैं।

आईसीआरडब्लू ने कहा है कि विकासशील देशों में लगभग 5.1 करोड़ लड़कियों का विवाह 18 साल से कम उम्र में हुआ। अगर मौजूदा प्रवृत्ति जारी रही तो आगामी दशक में 10 करोड़ और लड़कियों की शादी कच्ची उम्र में ही हो जाएगी। नए विधेयक में बाल विवाह के कारणों पर विचार किया जाएगा। इनमें गरीबी, लिंग असमानता जैसे कारण शामिल है। विधेयक में महिलाओं के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाना भी शामिल है। गीता ने उम्मीद जताई कि बाल विवाह की समस्या पर विचार कर यह विधेयक गरीबी घटाने और नवजात व माताओं की लंबी उम्र सुनिश्चित करने और एड्स के प्रसार को रोकने में मददगार साबित होगा।

बांग्लादेश में महिलाओं और बच्चों को बनाया जा रहा है आतंकवादी

विवेक सक्सेना

नई दिल्ली, 1 सितंबर। बांग्लादेश सरकार के कट्टरपंथियों के खिलाफ अभियान के बावजूद, आतंकवादी संगठन हिज्बुल ताहिद बड़ी तादाद में किशोरों और महिलाओं की भरती कर रहा है। उसका उद्देश्य 2020 तक असम और पश्चिम बंगाल आदि पूर्वी राज्यों के मुसलिम बाहुल्य इलाकों को साथ लेकर बृहत्तर बांग्लादेश बनाना है।

गृह मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक पिछले साल की तुलना में इस साल उत्तर पूर्वी राज्यों में आतंकवादी घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। बावजूद इसके कि बांग्लादेश की कार्यवाहक सरकार ने कट्टरपंथियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। यह कार्रवाई अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और उसे आर्थिक मदद करने वाले योरोपीय क्षेत्रों के दबाव में की जा रही है।

सूत्रों के मुताबिक वहां कार्यवाहक सरकार के सत्ता में आने के बाद बांग्लादेश में सक्रिय और शरण लेकर रहने वाले कट्टरपंथी नेताओं और संगठनों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। इसके तहत लगातार बड़ी तादाद में हथियार और विस्फोटक बरामद किए जा रहे हैं। इसके बावजूद यहां जो नए खुलासे हुए हैं वे चौकाने वाले हैं।

बांग्लादेश में कुछ समय पहले तीन किशोरों को हथियार और विस्फोटकों सहित पकड़ा गया था। इनकी उम्र 13 से 18 साल के बीच थी। उन्होंने पूछताछ के दौरान बताया कि उनका संबंध हिज्बुल ताहिद नामक आतंकवादी संगठन से है जो किशोरों और महिलाओं की भरती कर रहा है। उन्हें आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने का प्रशिक्षण देने के बाद भारत भेजा जाएगा।

गृह मंत्रालय के एक आला अफसर का कहना था कि इस्लामी कट्टरपंथी संगठन हिज्बुल ताहिद की ओर से की जा रही यह भर्ती बेहद चिंता का विषय है क्योंकि भारत-बांग्लादेश सीमा से अभी भी बड़ी तादाद में लोग गैर जरूरी तरीके से आ रहे हैं। पूरे देश में बांग्लादेशी लोगों की भरमार हो चुकी है। इनमें से बड़ी तादाद में युवक और महिलाएं घरेलू नौकरों के रूप में बाकी पेज 8 पर

हर लड़की अपनी रक्षा स्वयं करे : आभा

नई दिल्ली, 30 अगस्त (एसएनबी)। दो मनचलों को कराटे के दम कर धूल चटाने वाली आभा शर्मा चाहती है कि उनकी तरह हर लड़की कराटे चैम्पियन बने और अपनी रक्षा स्वयं करे। वहीं आभा शर्मा की माता सुमनलता को अपनी बेटी की बाहदुरी पर गर्व है। अजमेरी गेट इलाके में रहने वाली आभा शर्मा कराटे की ब्लैक बेल्ट चैम्पियन हैं। पांच वर्षो से वह कई स्कूलों में कराटे का प्रशिक्षण दे रही हैं। उन्होंने बताया कि खेल में उसकी बचपन से ही रुचि थी। जानकी देवी महाविद्यालय से स्नातक करने के बाद उसने कराटे का प्रशिक्षण लिया। ब्लैक बेल्ट लेने के बाद आभा औरों को भी कराटे सिखाने लगी। बुधवार को वह निजामुद्दीन इलाके में कराटे सेंटर गई थी। बस से उतरने पर दो मनचलों ने उस पर अभद्र फब्तियां कसीं। इस पर उसने दोनों को सबक सिखा दिया।

हाईकोर्ट महिला अपराध शाखा के कार्यकलाप पर खफा

सहारा न्यूज ब्यूरो
नई दिल्ली, 3 सितम्बर।

हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस की महिला अपराध शाखा के कार्यकलाप पर फिर नाराजगी जाहिर की है। हाईकोर्ट ने शाखा के सहायक पुलिस आयुक्त को तलब करते हुए सफाई देने को कहा है कि आखिर किस कानून के तहत मामले की जांच कर रहे हैं।

न्यायमूर्ति शिव नारायण धींगड़ा ने यह आदेश गौरव माटा एवं उनके परिवार की याचिका पर दिया है। याचिका में सीएडब्लू सेल पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया है। हाईकोर्ट ने आज कहा कि जब पहले के आदेश में यह साफ कर दिया गया कि शाखा किसी मामले की न तो जांच कर सकती है और न ही किसी व्यक्ति को पेश होने के लिए मजबूर कर सकती है तो फिर याचिकाकर्ता को समन क्यों जारी की गई। कोर्ट ने एक बार फिर साफ कर दिया कि शाखा सिर्फ महिलाओं की शिकायत पर दोनों पक्षों की रजामंदी से मामले को सुलझाने का प्रयास कर सकती है मामले की जांच नहीं। सीएडब्लू सेल के एसीपी को कोर्ट में तलब करते हुए न्यायमूर्ति धींगड़ा ने बताने को कहा कि जब अदालत ने इस प्रकार का आदेश दिया था तो याचिकाकर्ता एवं उनके परिवार को सम्मन क्यों जारी की गई। उन्होंने एसीपी को 21 मार्च 2008 को पेश होने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने आज फिर कहा कि शाखा सिर्फ पेश होने के लिए पत्र लिखकर आग्रह कर सकती है, और पेश होने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है। याचिकार्ता गौरव माटा, उनके माता पिता एवं भाई बहन की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि गौरव की शादी मोनिका से 30 सितम्बर 2006 को हुई और शादी के कुछ ही दिन बाद से उसके व्यवहार में बदलाव होने लगा। गौरव ने याचिका में कहा है कि उसकी पत्नी मोनिका उसकी बीमार मां से लड़ाई करके अपने सभी जेवरात एवं अन्य सामान लेकर मायके चली गई और जाते वक्त पूरे मामले को फसाने की धमकी दे गई। इसमें यह भी कहा गया कि उसे मनाकर वापस लाया गया। इसके कुछ ही दिन बाद 28 जून 2007 को मोनिका ने आत्महत्या करने की कोशिश की मगर किसी तरह समय पर उपचार देकर बचाया गया। याचिका में कहा गया है कि मोनिका दोबारा से घर छोड़ कर मायके चली गई और लौटने से मना कर दिया। इसके बाद गौरव ने रोहिणी कोर्ट में पत्नी की वापसी के लिए सिविल याचिका दाखिल की।

यौन उत्पीड़न में प्रोफेसर पदमुक्त

सहारा न्यूज ब्यूरो
दक्षिणी दिल्ली, 6 सितम्बर।

छात्राओं का यौन उत्पीड़न करने के मामले में जेएनयू प्रशासन ने संस्कृत विभाग के अध्यक्ष प्रो. उपेंद्र राव को जांच प्रक्रिया पूरी होने तक उन्हें पदमुक्त कर दिया। जांच प्रक्रिया चलने तक विभागाध्यक्ष प्रो. शशिप्रभा कुमार को कार्यकारी विभागाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस दौरान विभिन्न संगठनों ने विश्वविद्यालय परिसर में जगह-जगह पोस्टर चिपकाकर जांच प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने की मांग की है।

सनद रहे कि संस्कृत विभाग की नौ छात्राओं ने कुलपति प्रो. बीबी भट्टाचार्य को पत्र लिखकर विभागाध्यक्ष प्रो. राव पर यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए कुलपति प्रो. भट्टाचार्य ने बुधवार को प्रो. राव को उनके पद से मुक्त कर मामले को जांच के लिए विश्वविद्यालय के जेंडर सेंसटाईजेशन कमेटी अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट (जीएसकैस) के हवाले कर दिया है। इससे पहले भी विभागाध्यक्ष पर अपने विभाग की एक शिक्षिका के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप लग चुका है। हालांकि प्रो. राव ने अपने ऊपर लगे आरोपों से पूरी तरह से इंकार करते हुए इसे अपने खिलाफ साजिश बताया है।

विवादों में घिरे रहे हैं प्रो. राव

अविनाश चंद्र
दक्षिणी दिल्ली, 6 सितम्बर।

जेएनयू के संस्कृत विभाग के अध्यक्ष प्रो. उपेंद्र राव पूर्व में भी विवादों से घिरे रहे है। विभाग की नौ छात्राओं द्वारा उन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाए जाने से पूर्व भी उन पर उनके ही विभाग में कार्यरत एक शिक्षिका का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लग चुका है। इससे पहले जेएनयू में संस्कृत विभाग की स्थापना से पूर्व पांडिचेरी विश्वविद्यालय में कार्यरत प्रो. राव को ऐसे ही आरोपों का सामना करना पड़ चुका है। कुछ वर्ष पूर्व जेएनयू की प्रवेश परीक्षा के दौरान तमिलनाडु में बतौर आब्जर्वर गए पदच्युत विभागाध्यक्ष प्रो. राव पर अपने कार्य के प्रति लापरवाही बरतने का आरोप लगा था। उस दौरान प्रो. राव परीक्षा के दौरान बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित पाए गए थे।

पुरुष वर्चस्व और रजिया के सवाल

महिला सशक्तीकरण की परतों को रजिया खोलती है। बिहार में पंचायत के चुनाव में एक नए तरह के 'एमपी' स्थापित हुए। यहां 'एम' का मतलब मुखिया है और 'पी' से पति होता है। यह पद उन्हें दिया गया जिन पुरुषों की पत्नियां चुनाव में मुखिया बनीं। लोगों ने देखा कि पत्नियों का चुनाव पति-पिता या दूसरे पुरुष रिश्तेदारों ने लड़ा और महिला आरक्षण की सुविधा को अपने वर्चस्व वाले घरों के लिए सुरक्षित करने की कोशिश की। लेकिन यह तो एक आम बात है। इसे सशक्तीकरण की एक प्रक्रिया माना जा रहा है। लेकिन रजिया इस समझ के सूत्रों को खोलने पर जोर देती है। शहरी स्थानीय निकाय के चुनावों में उसकी हिस्सेदारी ने जो नए सवाल खोजे हैं, वे समाज शास्त्रीय अध्ययन की आधार सामग्री है।

बिहार में नीतीश सरकार ने न केवल महिलाओं के लिए आरक्षण निर्धारित किया बल्कि अति पिछड़ी और दलित जाति की महिलाओं के लिए भी आरक्षण के भीतर आरक्षण लागू किया। रजिया भी सासाराम के वार्ड नं. 30 से चुनाव में उतरी। वह अति पिछड़ी जाति की महिलाओं के लिए सुरक्षित वार्ड है। शायद ही 40 वार्ड वाले शहर की नगर परिषद की सीमा में किसी मुस्लिम महिला का नाम राजनीतिक, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में किसी ने सुना होगा। चुनाव के समय जिस तरह दूसरी जाति की महिलाएं घरों से निकली, मुस्लिम महिलाएं भी आईं। लेकिन रजिया को शहर में बहुत सारे लोग बहुत पहले से जानते रहे हैं। वह सासाराम की रहने वाली है। बीए तक की पढ़ाई की है। प्रगतिशील मुस्लिम महिला समिति का नेतृत्व करती रही है। सभी जाति धर्मों के बच्चियों को पढ़ाने के काम के लिए घूमती रहीं हैं। चुनाव लड़ने का फैसला भी उनका अपना था। वे बुर्का नहीं पहनतीं और चुनाव में केवल अपने बच्चे को साथ लेकर प्रचार में निकल जाती थी। दोपहर के दो घंटे के आलावा रात 10 बजे तक चुनाव प्रचार करती, सभाएं करती, घर-घर में जाती, लोगों के सवालों के जबाब देती। लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने दो-तीन खास बातें की। पहला तो यह कि उनके परिवार में उनके पति के चारों भाई अपने-अपने काम-काज से शहर से बाहर रहते हैं। इसीलिए उनके वार्ड आयुक्त के काम में उनके परिवार का कोई दखल नहीं होगा। अखबारों में भी बयान दिया कि वे पति का हस्तक्षेप भी बर्दाश्त नहीं करेंगी। ऐसा बयान देने की केवल उन्होंने ही खास तौर से जरूरत महसूस की। यह कोई वोट के लिए चुनावी भाषण नहीं था। यह महिला की ताकत को स्थापित करने की उनकी योजना का हिस्सा था। आगे इसका विस्तार इस रूप में मिलता है। उनका कहना था कि नगर परिषद विकास का पहला द्वार है। वे उसकी योजनाओं को अपने वार्ड में अंजाम देंगी। लेकिन वार्ड की विकास के प्रारूप को तैयार करने का काम उनके मतदाता ही करेंगे। लेकिन वर्षों की सक्रियता के बावजूद और इतनी बड़ी समझ रखने वाली शहर में चुनाव प्रचार के कारण चर्चित रजिया हार गई।

महिला सशक्तीकरण की शर्तों को रजिया की यही हार खोलती है। रजिया की हार का एक बड़ा कारण तो मतदान के एक दिन पहले यह घोषणा थी कि सासाराम नगर परिषद का अध्यक्ष पद अति पिछड़ा महिला के लिए आरक्षित है। रजिया का अध्यक्ष बनना तय माना गया। तब इस घोषणा से रजिया के वार्ड का चुनाव पूरे शहर का चुनाव हो गया। यह शहर जिस रूप में यहां जमा होता है वह काबिलेगौर है। दरअसल यहां जाति आधारित आरक्षण की व्यावहारिक स्थिति की भी कई परते खुलती हैं। रजिया से कहा गया की वह अपने पति एसएस बद्रे कामिल से कहें की वह अपने राजनीतिक गतिविधियों के लिए तौबा कर लें। ऐसा कहने वालों की पहचान ऊपरी तौर पर सवर्ण जातियों के रूप में की जा सकती है। रजिया के पति पिछड़े और दलित मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाले ऑल इण्डिया पासमांदा मुस्लिम महाज के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। रजिया खुद के लिए आत्मनिर्भर महिला प्रतिनिधि के तौर पर स्वीकृति चाहती थीं लेकिन वार्ड में दबदबा रखने वाले समूह को लगा कि महिला जाति और धर्म के जकड़न से निकल जाएगी तो पुरुष वर्चस्व टूट जाएगा। रजिया को जो 250 वोट मिले। रजिया के पक्ष में खड़ी ऐसी महिलाओं को जाति की कसम दिलाई गई, रिश्तेदारी का वास्ता दिया गया, पहचान कार्ड छीने गए। ये महिला मतदाता भी जाति एवं धर्म के दायरे को लांघ कर महिला ताकत को स्थापित करना चाहती थीं। पर अब चुनाव में ज्ञातियों के आरक्षण के साथ एक नई बात देखी जा रही है। दबंग समूह अपेक्षाकृत कम संख्या वाली या कमजोर दिखने वाली जातियों को चुनना अपने हित में समझता है। पति पत्नी के रूप में महिला को मुट्ठी में रखता है तो पुरुषों का समूह हिन्दुत्व जाति के बोझ से महिला को निकलने नहीं देता। रजिया के चुनाव में ऐसा ही हुआ। महिला सशक्तीकरण में रजिया की जगह बननी चाहिए।

सामूहिक दुष्कर्म के बाद चार वर्षीय मासूम की मौत

आगरा, 26 अगस्त (एसएनबी)। तीन वहशी युवकों ने एक चार वर्षीय बच्ची के साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया। इस कारण उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। बलात्कारियों ने मृतका को झाड़ियों में ही गड्ढ़ा खोदकर गाड़ दिया और गड्ढ़े को बंद करने के लिए पत्थर रख दिया। झाड़ियों से तीन युवकों को निकल कर भागते देख वहां से गुजर रहे लोगों ने एक युवक को पकड़ लिया और उसकी पिटाई की। पुलिस के पहुंचने पर उसको सुपुर्द कर दिया। पुलिस जैसे ही युवक को फोर्ट चौकी लाई, पीछे से भारी भीड़ वहां पहुंच गई और बलात्कारी को सरेआम फांसी देने की मांग करने लगी। जिसको लेकर पुलिस व भीड़ के बीच जमकर हाथापाई भी हुई। फोर्ट चौकी के इलाके के रविदास नगर की झोंपड़ पट्टी में रहने वाली बुद्धू कलाम की बेटी मुस्कान (4) दोपहर में घर के बाहर खेल रही थी। तभी चक्कीपाट के रहने वाले रमेश कोहली का (18) पुत्र टिंकू उर्फ पिंकू अपने दो युवक साथियों के साथ मुस्कान को बहलाकर नजदीक ही झाड़ियों में ले गए और तीनों ने बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया। उसकी चीखें दब कर रह गई और उस मासूम की मौके पर ही मौत हो गई।

बच्ची के मरने पर तीनों ने झाड़ियों में ही मौके पर एक गड्ढ़ा खोदा और उसके शव को उसमें डालकर ऊपर से पत्थर व ईटें डालने लगे। उधर से गुजरते हुए एक राहगीर को शक हुआ। उसने मौके पर जाकर देखा तो तीनों युवक वहां भागने लगे। राहगीर के शोर मचाने पर अन्य लोगों ने दौड़कर एक युवक को पकड़ लिया और जमकर उसकी पिटाई की। मौके पर पुलिस पहुंची और टिंकू उर्फ पिंकू को सुपुर्द कर दिया। बलात्कारी को पुलिस जैसे ही लेकर फोर्ट चौकी आई, तभी यह खबर झोपड़ पट्टी इलको में पहुंच गई। वहां से भारी भीड़ घटनास्थल पर पहुंची और शव लेकर सीधे फोर्ट चौकी आई और बलात्कारी को सरेआम फांसी देने की मांग करने लगी।

मुद्दा — स्वाती सिन्हा

यौन हिंसा से जूझती लड़कियां

हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय के आई पी कॉलेज के आसपास स्थित स्कूलों में देश के कई राज्यों से पुलिस भर्ती परीक्षा देने आए युवकों ने छात्राओं से छेड़छाड़ की। इसके खिलाफ आई पी कॉलेज के साथ अन्य कॉलेजों की छात्राओं ने लामबंद होकर इस घटना का पुरजोर विरोध किया। छात्राओं के सामूहिक विरोध के कारण यह घटना सुर्खियों में आ गई लेकिन देश के शहरों में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं रोज होती हैं जिनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। यौन हिंसा झेलने वाली इन लड़कियों के लिए जाति, धर्म या वर्ग की कोई दीवार नहीं है। यहां ये सभी एक ही प्लेटफार्म पर खड़ी दिखाई देती हैं। चाहे वह झुग्गी में रहने वाली गरीब तबके की हो या समृद्ध परिवार की।

छेड़छाड़ की घटनाओं से कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है। चाहें वह निजी क्षेत्र हो या सार्वजनिक। सेंटर फॉर सोशल रिसर्च के हाल के आंकड़े के अनुसार देश में रोज दस में से एक लड़की छेड़खानी का शिकार बनती है जिनमें छोटी बच्चियों के साथ आमतौर पर ये घटनाएं ज्यादा होती हैं। एक तरफ लड़कियां हर क्षेत्र में अपनी पहचान दर्ज करा रही हैं वहीं इसकी उन्हें भारी कीमत भी चुकानी पड़ रही है। जाहिर है सदियों से समाज के निचले पायदान पर स्थान पाने वाली लड़कियों के लिए बराबरी और सम्मान पाने की राह सीधी सरल तो नहीं। उनके शरीर को निशाना बनाया जाना उसी पिछड़ी और बीमार सोच को दर्शाता है जहां औरत एक 'वस्तु' है। उपभोग की ढेरों वस्तुओं में से एक वस्तु। दूसरी तरफ परिवार के अंदर घटती यौन हिंसा की घटनाओं ने रिश्तों के उस बनावटी आवरण को नोच कर फेंक दिया है जिसकी दुहाई सदियों से दी जाती रही है। बाहर की असुरक्षा तो स्पष्ट दिखाई देती है, घर के सुरक्षाचक्र में जो असुरक्षा है वह भयावह है, घिनौनी है। सवाल यह है कि घर और बाहर की असुरक्षा को झेलती लड़कियां आखिर कहां जाएं?

उपरोक्त घटना में छात्राओं ने जब पुलिस से मदद मांगी तो उसने मदद से साफ इनकार कर दिया। यह गैर जिम्मेदाराना व्यवहार पुलिसिया मानसिकता को तो दिखाता ही है, महिलाओं के प्रति समाज की असंवेदनशील मनोवृत्ति का परिचायक भी है। जब पूरा समाज वर्चस्ववादी और पितृसत्तात्मक सोच से ग्रसित हो तो पुलिस से क्या उम्मीद लगाई जा सकती है जिनके ऊपर 'पावर' का भूत कुछ ज्यादा ही सवार रहता है। तभी तो जो लोग मात्र पुलिस में भर्ती की परीक्षा देने आए थे उन पर भी थोड़ी देर के लिए ही सही, पुलिसिया नशा चढ़ गया था।

पुलिस प्रशासन से मदद की उम्मीद लगाने से पहले समाज को महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के प्रति संवेदनशील बनाने की लंबी प्रक्रिया चलानी होगी। समाज में इस असंवेदनशीलता की वजह से ही सड़क या बस में होने वाली छेड़छाड़ की घटनाओं के प्रति लोग मूक दर्शक बने रहते हैं। तात्कालिक तौर पर हो सकता है कभी-कभार कानून से मदद मिल भी जाए। लेकिन दीर्घकालिक तौर पर ऊपर-ऊपर से मरम्मत से काम नहीं चलेगा। उस रोगी मानसिकता को ही बदलने की कोशिश करनी होगी जिसके कारण लड़कियां हर पल खौफ और मानसिक तनाव से घिरी रहती हैं। लड़कियों की इस खोई हुई आजादी की कीमत कौन चुकाएगा? मुक्त होकर बेखौफ जीने और रास्ते पर चलने के अधिकार से वे ही वंचित क्यों रहे? लड़कियां अब इस कीमत को चुकाने को तैयार नहीं। छिटपुट इसके उदाहरण दिखाई भी देने लगे हैं। आई पी कॉलेज की घटना इसका ताजा उदाहरण है। ऐसी घटनाओं के प्रति विरोध का जो मुखर स्वर उभरा है उसे सबके सामने लाने और इसकी हौसला अफजाई करने से उन हजारों लड़कियों के मन में हिम्मत और उम्मीद की किरण जगेगी जो रोज ऐसे अपमान और असुरक्षा झेलती हैं।

इज्जत, प्रतिष्ठा, बदनामी जैसे शब्दों के मिथ को भी तोड़ने का वक्त आ गया है। इस सवाल को पूछना शुरू कर देना चाहिए कि बदनामी किसकी? बदनाम कौन? अपराध किसका? अपराधी कौन? सभी 'सामाजिक' लोगों को ऐसे मसलों पर अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभानी होगी क्योंकि यह केवल 'महिलाओं' की समस्या नहीं है, पूरे समाज की बीमारी है जिसे जड़ से मिटा कर ही सभ्य और स्वस्थ समाज खड़ा रह सकता है।

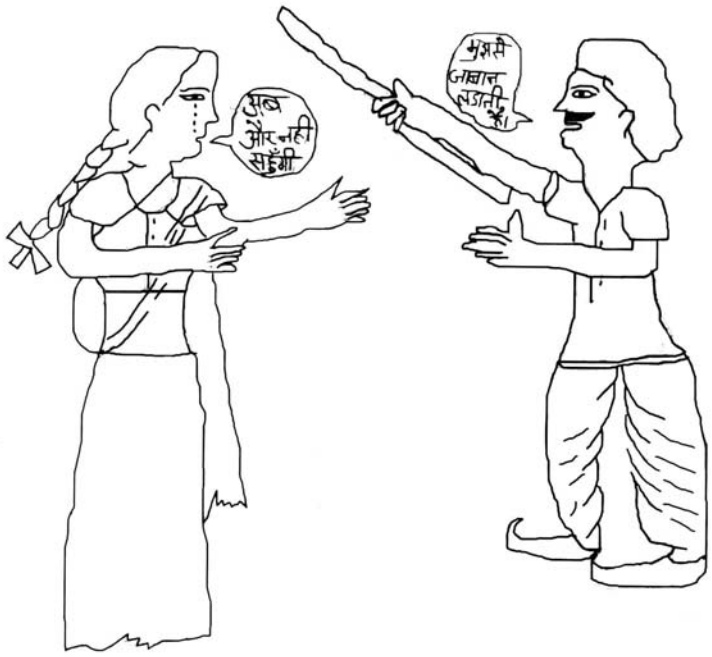

हमारी कहानी हमारी जुबानी

मेरे पड़ोस में एक अंकल-आंटी रहते थे। अंकल काम पर जाते और आंटी घर पर काम करती थी, अंकल जब काम करके आते तो शराब पी कर आते और आंटी को पीटते थे। आंटी शर्म के मारे किसी को नही बताती, एक दिन तो हद हो गई, छोटी-सी बात पर पीटने लगे मुझसे देखा नहीं गया मै जाके बोलने लगी आप क्यूँ आंटी को पीटते हैं। कोई आप को पीटे तो क्या आप को दर्द नही होगा और जब आप आंटी को पीटते हैं क्या आंटी को दर्द नहीं होता हैं। क्या आपको पता नही की घरेलु हिंसा का नया कानून के तहत आप अपनी पत्नी को नही पीट सकते मै आपको इस कानून के तहत गिरफ्तार करवा सकती हुँ तब अंकल ने कुछ नही कहा और सो गए सुबह मैने देखा कि अंकल आंटी से माफी मागँ रहे थे। ये सब देख कर मुझे बहुत अच्छा लगा है। आखिर मेरा यह सुझाव बहुत काम आया।

नाम - रामा
कक्षा - 4
रोल न0 - 47
सर्वोदय कन्या विद्यालय